न्यायालय श्रीमान् सदस्य राजस्व मंडल ग्वालियर म0 प्र0 (1)

==

निगरानी क्रमांक *निगरानी–3405/2018/छतरपुर/भू.रा.* सन् 2018

1, अश्वनी कुमार तनय श्री उमादत्त कौशिक निवासी
ग्राम मैहबा तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0

2, उमादत्त कौशिक तनय स्व0 श्री मदन मोहन कौशिक
निवासी ग्राम मैहबा तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0 -- निगरानीकर्तागण

बनाम

1, श्री रामदत्त कौशिक तनय स्व0 श्री मदन मोहन कौशिक

2, श्री रामकुमार कौशिक तनय श्री रामदत्त कौशिक

3, राघवेन्द्र कौशिक तनय श्री रामदत्त कौशिक

4, कान्त तनय श्री रामदत्त कौशिक समस्त गैर निगरानीकर्ता
गण निवासी ग्राम मैहबा तह0 व जिला छतरपुर म0प्र0 -- गैर निगरानीकर्ता गण

श्री *मुकेश भार्गव अभि.*
द्वारा आज दि. *1-6-18* को
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक *20-6-18* नियत।

[signature]
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर *1-6-18*

निगरानी धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 सं0के अन्तर्गत
निगरानी अपर आयुक्त *सागर* के अपील क्रमांक 424-अ/27/*11/12* में पारित आदेश दिनांक *10.04.18* के विरुद्ध

==

महोदय,

निगरानीकर्ता निम्न कारणों पर यह निगरानी प्रस्तुत कर निवेदित है:-

1, यह कि गैर निगरानीकर्ता के द्वारा एक आवेदन नायब तहसीलदार मैहबा की न्यायालय में भूमि खसरा क्रमांक 175/1 लगायत 198 खसरा क्रमांक के संबंध में आवेदन में ही गैर निगारानी कर्ता के द्वारा अपने द्वारा स्वयं अच्छे उपजाऊ अच्छी किस्त के खसरा क्रमांको को अपने पक्ष में एवं अपने पुत्रो के हक सूची लेख कर प्रस्तुत किया गया है जो नायब तहसीलदार के द्वारा प्रकरण क्रमांक 30/अ-27/*08-09* पर पंजीबद्ध कर बिना फर्द बटवारा की सूचना दिये बिना प्रकाशन के बिना आपत्तियों पर सुनवाई के गैर निगरानी कर्ता की आवेदन को स्वीकार कर लिया गया उक्त आदेश के विरुद्ध अपील निगरानी कर्ता के द्वारा अनुविभागीय अधिकारी की न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो अपील क्रमांक 41/अपील/अ-27 /2010 -11 पंजियत कर बिना तहसीलके प्रकरण के अवलोकन के अपील दिनांक 27/4/2011 को निरस्त कर दी गई इसी अपील के आदेश के विरुद्ध अपील अपर आयुक्त की न्यायालय में प्रस्तुत की गई थी जो अपील क्रमांक 424/अ/27/11/12 पंजीबद्ध होकर दिनांक 30/8/13

मुकेश भार्गव
01-6-18 एडवोकेट
ग्वालियर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3405/2018/छतरपुर/भू.रा. अश्वनी कुमार विरूद्ध रामदत्त

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29-06-2018	आवेदक की ओर से श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक उपस्थित । उनके द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 10-04-2018 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा राजस्व मंडल के निर्देसानुसार प्रकरण का अवलोकन कर स्पष्ट निष्कर्ष निकाला गया है कि तहसीलदार द्वारा सभी पक्षों की साक्ष्य एवं सुनवाई करके स्वत्व के निराकरण का पर्याप्त अवसर प्रदान करके हिस्सा अनुसार बंटवारा स्वीकृत किया है । जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा निकाले गये उपरोक्त निष्कर्ष विधिसंगत है । जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है । फलस्वरूप यह निगरानी प्रथम दृष्ट्या आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । सदस्य 29/6	